

बिहार स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लि०

Bihar State Tourism Development Corporation Ltd.

वीरचन्द पटेल पथ / Beerchand Patel Path, पटना / Patna- 800 001

दूरभाष / Phone : - +91-612-2222622 फ़ैक्स नं० / Fax No: - 0612-2506218

CIN: U63040BR1980SGC001486, Web: www.bstdc.gov.in E-mail: contactbstdc@gmail.com



07/08/H&C/Esstt/17-18/536/18

दिनांक-26.04.2018

निविदा आमंत्रण सूचना

बिहार स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लि०, निम्नांकित परिसम्पत्तियों को अनुज्ञप्ति के आधार पर अधिकतम 3 (तीन) वर्षों की अवधि बिना विस्तार किए अनुज्ञप्ति के आधार पर संचालन कराना चाहती है। जिसके लिए संबंधित क्षेत्र के अनुभवी व्यक्ति/एजेंसी/फर्म से Technical Bid और Financial Bid (Two-bid system) के आधार पर "जैसा है जहाँ है" (As it is where it is) निविदा आमंत्रित करती है।

क्र	सम्पत्ति का नाम	निविदा प्रपत्र की राशि प्रति दुकान	अग्रधन की राशि प्रति दुकान
1.	बैजूधाम मंदिर, गया स्थित दुकान संख्या-01	1,000.00	20,000.00
2.	बैजूधाम मंदिर, गया स्थित दुकान संख्या-02	1,000.00	20,000.00
3.	बैजूधाम मंदिर, गया स्थित दुकान संख्या-03	1,000.00	20,000.00
4.	बैजूधाम मंदिर, गया स्थित दुकान संख्या-04	1,000.00	20,000.00
5.	बैजूधाम मंदिर, गया स्थित दुकान संख्या-05	1,000.00	20,000.00
6.	बैजूधाम मंदिर, गया स्थित दुकान संख्या-06	1,000.00	20,000.00
7.	बैजूधाम मंदिर, गया स्थित दुकान संख्या-07	1,000.00	20,000.00

निविदा नियमावली सभी प्रपत्र सहित कार्यावधि में होटल कौटिल्य विहार, पटना के स्वागतक कक्ष से ₹ 1,000.00 (एक हजार) मात्र नगद जमा कर दिनांक-29.05.2018 के समय 2.00 बजे अपराह्न तक प्राप्त किया जा सकता है, और दिनांक-30.05.2018 के 2:30 बजे अपराह्न तक होटल कौटिल्य विहार, पटना के स्वागतक कक्ष में निविदा जमा करने की अन्तिम तिथि होगी, तथा उसी दिन 3:00 बजे अपराह्न निविदा निगम मुख्यालय में खोली जायेगी। अग्रधन की राशि डी०डी० या बैंकर्स चेक बिहार स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लि०, पटना के नाम में भुगतये होगी। बिना अग्रधन के प्राप्त निविदा प्रथम दृष्टया अमान्य होगा। प्रबन्ध निदेशक को निविदा के किसी शर्त को शिथिल करने/निविदा स्वीकृत करने या अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार सुरक्षित है। यह निविदा सूचना निगम के वेबसाईट www.bstdc.bih.nic.in पर भी देख सकते हैं और निविदा प्रपत्र डाउनलोड कर सकते हैं। ऐसी परिस्थिति में निविदा के साथ ₹ 1,000.00 (एक हजार) का D.D. बिहार स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लि०, पटना के नाम से पटना में भुगतये जमा करना होगा। विस्तृत जानकारी हेतु Nodal officer श्री गौरव कुमार, प्रबन्धक, लीज Contact detail No-8544418405 से सर्मर्क करें।

ह

0ह०/-/
-(इनायत खान)
प्रबंध निदेशक

अनुज्ञप्ति के आधार पर (दुकानों के लिए) संचालन हेतु टेन्डर नियमावली

बिहार स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लि० के द्वारा अनुज्ञप्ति के आधार पर अधिकतम 3 (तीन) वर्षों की अवधि बिना विस्तार के लिये संचालन कराना चाहती है, जिस हेतु (As is where is) "जैसा है जहाँ है" के आधार पर दो लिफाफे, जिसके लिए सम्बन्धित क्षेत्र के अनुभवी व्यक्ति/एजेन्सी/फर्म से Technical Bid और Financial Bid (Two-bid system) में अनुमोदित निविदा प्रपत्र में मुहरबंद निविदाएँ आमंत्रित की जाती हैं।

क्र	सम्पत्ति का नाम	निविदा प्रपत्र की राशि प्रति दुकान	अग्रधन की राशि प्रति दुकान
1.	बैजूधाम मंदिर, गया स्थित दुकान संख्या-01	1,000.00	20,000.00
2.	बैजूधाम मंदिर, गया स्थित दुकान संख्या-02	1,000.00	20,000.00
3.	बैजूधाम मंदिर, गया स्थित दुकान संख्या-03	1,000.00	20,000.00
4.	बैजूधाम मंदिर, गया स्थित दुकान संख्या-04	1,000.00	20,000.00
5.	बैजूधाम मंदिर, गया स्थित दुकान संख्या-05	1,000.00	20,000.00
6.	बैजूधाम मंदिर, गया स्थित दुकान संख्या-06	1,000.00	20,000.00
7.	बैजूधाम मंदिर, गया स्थित दुकान संख्या-07	1,000.00	20,000.00

अग्रधन की राशि : निविदादाता को अपने निविदा कागजात के साथ उपरोक्त वर्णित अग्रधन राशि (Earnest Money) Demand Draft/बैंकर्स चेक जो बिहार स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लि०, के नाम में भुगतये की प्रति संलग्न करते हुए Credential से सम्बन्धित कागजात लिफाफा न०-1 में भरा जायेगा एवं द्वितीय लिफाफे में निविदा नियमावली में निर्धारित वित्तीय प्रपत्र-II (Financial Bid) को भरते हुए प्रस्तावित दर अंकित कर इन दोनों लिफाफों को एक तीसरे बड़े लिफाफे में डालकर अंतिम तिथि दिनांक-**30.05.2018** समय 2:30 बजे अपराह्न तक निगम मुख्यालय में जमा किया जाना है। अग्रधन की राशि "बिहार स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लि०, पटना" के नाम भुगतये जमा करना अनिवार्य होगा। बिना अग्रधन के प्राप्त निविदा प्रथम द्रष्टया अमान्य होगा।

सफल निविदादाता को कार्यदेश निर्गत के सात दिनों के अन्दर प्रथम वर्ष की लीज रेंट के साथ G.S.T. की राशि (अग्रधन के रूप में जमा राशि के समायोजनोपरान्त) एकमुस्त जमा किया जाना होगा। असफल निविदादाता के अग्रधन की राशि की वापसी शीघ्र कर दी जायेगी। एक प्रपत्र में मात्र एक ही दुकान हेतु आवेदन दिया जायेगा। प्राप्त निविदा के किसी शर्त को शिथिल करने, निविदा के अंश भाग/सम्पूर्ण भाग को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार प्रबन्ध निदेशक के पास सुरक्षित है।

अनुमोदित निविदा प्रपत्र : निविदा नियमावली इसके अन्य शर्तों एवं निविदा प्रपत्र होटल कौटिल्य विहार, बीरचन्द पटेल पथ, पटना से किसी भी कार्य दिवस को कार्य अवधि में ₹ 1,000.00 (एक हजार) नगद या बैंक ड्राफ्ट जो "बिहार स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लि०" के नाम से पटना में भुगतान हो, जमाकर दिनांक-29.05.2018 के अपराह्न 2:00 बजे तक प्राप्त किया जा सकता है। निविदा नियमावली एवं निविदा प्रपत्र का मूल्य वापस नहीं किया जायेगा।

ऑफरकर्ता आवश्यक समझें तो उक्त परिसर का निरीक्षण के पश्चात् अपना ऑफर निर्धारित तिथि के अन्दर दे सकते हैं। निविदा के सम्बन्ध में यदि किसी बिन्दु पर Clarification आवश्यक समझा जाता है, तो निगम कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है। दुकान के साज सज्जा (Furnishing) की व्यवस्था अनुज्ञप्तिधारी को स्वयं करनी होगी। पर्यटन निगम से मात्र दुकान दी जायेगी।

निविदा जमा करने एवं खोलने की तिथि व स्थान : बिहार स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लि०,
पटना

सभी कागजातों सहित निविदा जमा करने की तिथि-

30.05.2018 समय: 2:30 बजे

निविदा खोलने की तिथि :

30.05.2018 समय 3:00 बजे

निविदा खोलने का स्थल :

बिहार स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन
लि०, वीरचन्द पटेल पथ, पटना

निविदा समर्पित करने की प्रक्रिया :-

लिफाफा संख्या-1 : निविदादाताओं के लिए लिफाफा सं०-1 में निम्नांकित क्रेडेंशियल्स देना अनिवार्य है:-

1. Partnership or Proprietorship Firm/ Registered Society/ Individual से सम्बन्धित कागजात;
2. आवेदक की आर्थिक सुदृढता का मूल्यांकन हेतु बैंकर द्वारा निर्गत बैंकर्स प्रमाण पत्र (Bank Solvency Certificate)
3. Food License. Certificate की छायाप्रति (सिर्फ खाद्य पदार्थ बेचने वालों के लिए)
4. पैन कार्ड की छायाप्रति।
5. संबंधित पुलिस अधीक्षक S.P./ DM or SDO से निर्गत चरित्र प्रमाण पत्र;
6. आवासीय पता का प्रमाण पत्र (यथा आधार कार्ड/चुनाव आयोग का पहचान पत्र/ड्राईविंग लाइसेंस/पासपोर्ट की छायाप्रति);
7. यदि G.S.T. के अंतर्गत फर्म/एजेंसी निबंधित है तो G.S.T. संख्या अंकित हो।

नोट :- उपरोक्त वर्णित सभी कागजात स्वअभिप्रमाणित संलग्न करना है, साथ ही निविदा नियमावली को छोड़ कर सिर्फ लिफाफा नं०- I एवं II ही निविदा में डालना है। जिसका निर्देश निम्नप्रकार से है:-

निर्देश:- (जिसे निविदा प्रपत्र के एनेक्सचर-'क' (संलग्न) के अनुसार जमा किया जाना है। लिफाफे के ऊपर निविदा कार्य तथा **लिफाफा सं०-I (तकनीकी बिड)** को लिखा जाना अनिवार्य है। अग्रधन की राशि लिफाफा नम्बर-I में दिया जाना है।

लिफाफा सं०-II में निविदादाताओं को दर भरा जाना है। जिसे निविदा प्रपत्र के एनेक्सर- 'ख' (संलग्न) के अनुसार जमा किया जाना है। लिफाफे के ऊपर निविदा कार्य तथा **लिफाफा सं०-II (वित्तीय बिड)** को लिखा जाना अनिवार्य है।

दोनों ही लिफाफे को एक तीसरे एवं बड़े लिफाफे में मुहरबन्द कर डाले जायेंगे। ऑफरकर्ता अपने स्वेच्छा से एक कार्य हेतु निविदा दे सकते हैं या एक से अधिक कार्यों के लिए अलग-अलग लिफाफा नं०- I एवं लिफाफा नं०- II में भरी गई निविदाएँ दे सकते हैं।

दोनों ही लिफाफे को एक तीसरे एवं बड़े लिफाफे में मुहरबन्द कर डाले जायेंगे।

निविदा की अन्य सामान्य शर्तें : –

1. वर्णित सम्पत्ति का लाइसेंस नियमानुसार व्यवसायिक आधार पर यात्रियों/पर्यटकों की सुविधा के लिए **कुल 03** (तीन) वर्षों के लिए बिना अवधि विस्तार किए आवंटित किया जायेगा। वांछित सभी राशि जमा हो जाने के पश्चात् इनभेन्ट्री बना कर सम्पदा का संचालन हेतु अधिकार पत्र उस क्षेत्र के नियंत्री प्रबन्धक द्वारा निर्गत किया जायेगा, जिसे वापसी के समय इस इनभेन्ट्रीसे मिलान किया जायेगा। इस इनभेन्ट्री में भवन के खिड़की दरवाजा, फर्निचर, फिक्सर विद्युत एवं जल व्यवस्था सहित भवन का सभी विवरणी रहेगी।
2. प्रथम वर्ष के लाइसेंस फीस की राशि के साथ G.S.T. की राशि आवंटन पत्र निर्गत की तिथि के सात दिनों के अन्तर्गत जमा करना होगा।
3. जमानत के रूप में द्वितीय वर्ष का लाइसेंस राशि (जो प्रथम वर्ष के लाइसेंस राशि का 5% अधिक होगा) के समतुल्य राशि का N.S.C./Fixed Deposit/Bank Guarantee, Pledged "**Bihar State Tourism Development Corporation Ltd., Patna**" के नाम में जमा करना होगा। इस पर प्रथम पक्ष द्वारा किसी प्रकार का सूद द्वितीय पक्ष को देय नहीं होगा। आवंटन पत्र निर्गत की तिथि के सात दिनों के अन्दर जमा करना होगा।
4. द्वितीय वर्ष के लिए लाइसेंस की राशि प्रथम वर्ष की राशि का 5% (पाँच प्रतिशत) अधिक राशि होगी एवं तृतीय वर्ष का लाइसेंस की राशि प्रथम वर्ष की राशि का 10% (दस प्रतिशत) अधिक होगा। निर्धारित तिथि के 3 माह पूर्व अगले वर्ष की अनुज्ञप्ति राशि जमा करने पर प्रोत्साहन स्वरूप 5% का सूद का लाभ दिया जायेगा। उक्त निर्धारित तिथि से तीन माह के बीच की अवधि अर्थात् अनुज्ञप्ति अवधि के प्रथम वर्ष की समाप्ति तक अग्रिम राशि जमा करने पर कोई विलम्ब शुल्क नहीं लगेगा, परंतु उक्त निर्धारित तिथि के बाद अर्थात् प्रथम वर्ष के लाइसेंस अवधि की समाप्ति के बाद भुगतान करने पर 2.50% प्रतिमाह की दर से देय राशि पर बिलम्ब शुल्क लगेगा।
5. सारी वांछित राशि प्राप्त होने पर ही उक्त सम्पत्ति का प्रभार संचालन हेतु सौंपा जायेगा तथा आवंटन तिथि की गणना, **आवंटन-पत्र निर्गत की तिथि से की जायेगी।**
6. इस सम्पदा के संचालन के निमित्त आवश्यक फर्निचर, उपस्कर, फर्निसिंग, इत्यादी निविदादाता द्वारा किया जायेगा। आवंटन के समाप्ति के पश्चात् वैधानिक सभी राशि एवं यदि कोई बकाया राशि हो तो उसके भुगतान के पश्चात् जमानत की शेष राशि वापस कर दी जायेगी।
7. लाइसेंसधारी द्वारा आवंटित सम्पत्ति का पूर्ण या आंशिक भाग को सबलेट नहीं किया जा सकता है।
8. अध्यक्ष-सह-प्रबन्ध निदेशक/प्रबन्ध निदेशक अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी को लाइसेंसधारी द्वारा चलाये जा रहे सम्पदा आदि के निरीक्षण का अधिकार होगा।

9. यदि लाइसेंसधारी निर्धारित अवधि में लाइसेंस की राशि का भुगतान बिहार स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लि०, पटना को निर्धारित शर्तों के अनुरूप नहीं करेंगे तो वैसी स्थिति में बिहार स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लि०, को निम्न प्रकार से कार्रवाई करने का अधिकार होगा :
- क. लाइसेंसधारी का लाइसेंस बिहार स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड रद्द कर देगा।
- ख. बिहार स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड जमा अग्रधन की राशि को जब्त कर लेगा।
- ग. प्रथम पक्ष अर्थात् बिहार स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा द्वितीय पक्ष अर्थात् लाइसेंसधारी को ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा एवं प्रथम पक्ष द्वारा निकाले गये किसी निविदा में उन्हें भाग लेने से वंचित कर दिया जायेगा।
- घ. लाइसेंसधारी द्वारा एकरारनामा के अनुरूप लाइसेंस फी एवं अन्य फी भुगतान नहीं करने पर इस criminal breach of trust समझा जाएगा तथा इसके लिए आवश्यक फौजदारी / दीवानी / प्रमाण पत्र मुकदमा करने का अधिकार पर्यटन निगम को होगा।
- यदि निर्धारित तिथि तक लाइसेंस शुल्क जमा लीजधारी द्वारा नहीं किया जाता है तो, विलम्बित अवधि के लिए 2.5% प्रतिमाह की दर से बिलम्ब शुल्क लगेगा।
10. लाइसेंसधारी आवंटित स्थल में किसी प्रकार के गैर कानूनी/प्रतिबंधित व्यवसाय नहीं करेंगे एवं परिसर का उपयोग सिर्फ पर्यटन व्यवसाय हेतु करेंगे जिसके लिये उन्हें आवंटित किया गया है। आवंटन प्राप्त करने के पश्चात् अनुज्ञप्तिधारी इसे संचालन की स्थिति में रखेंगे, इसे बन्द कर नहीं रखेंगे।
11. निगम द्वारा निर्धारित जगह को छोड़कर अन्य किसी भी जगह में लाइसेंसधारी द्वारा साईनबोर्ड अथवा किसी प्रकार का प्रचार-पटल नहीं रखा जायेगा और न ही आवंटित क्षेत्र के अतिरिक्त किसी जगह पर कब्जा किया जायेगा।
12. सम्पदा के परिसर एवं इसके आस-पास के क्षेत्र को स्वच्छ रखेंगे। लाइसेंसधारी द्वारा लाइसेंस अवधि में सभी प्रकार के सौन्दर्यीकरण एवं सामान्य रख-रखाव का कार्य अपने खर्च पर किया जायेगा।
13. लाइसेंसधारी द्वारा लाइसेंस अवधि में किसी प्रकार का प्राकृतिक आपदा एवं असावधानी के कारण हुये क्षति की भरपाई एक सामान्य समय सीमा के अन्दर अपने खर्च पर किया जायेगा अन्यथा इस कार्य को निगम द्वारा किया जायेगा एवं किये गये खर्च की प्रतिपूर्ति लाइसेंसधारी से 10% प्रतिशत सूद के साथ की जायेगी। इस प्राकृतिक आपदा से बचाव हेतु लाइसेंसधारी द्वारा बीमा कराया जा सकता है, जिसके प्रीमियम की राशि उन्हें स्वयं वहन करनी होगी।
14. लाइसेंसधारी द्वारा आवंटित सम्पत्ति आदि को सफाई-स्वच्छता आदि का ध्यान रखा जायेगा एवं लाइसेंसधारी द्वारा पर्यटकों की भावना के अनुरूप उच्च एवं उचित स्तर पर सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी एवं पर्यटकों से नम्रतापूर्वक व्यवहार किया जायेगा। उनके द्वारा उपलब्ध कराये गये सर्विस की गुणवत्ता के संबंध में किसी प्रकार की शिकायत प्राप्त होने पर यथोचित कार्रवाई यथा लाइसेंस रद्द करने की कार्रवाई की जायेगी।
15. लाइसेंसधारी द्वारा आवंटन के एक माह के भीतर अपने खर्च पर स्वतंत्र रूप से अपने नाम विद्युत मीटर की व्यवस्था कर ली जायेगी एवं विपत्रों के भुगतान करने के पश्चात् लाइसेंसकर्ता को उसकी सूचना देंगे। साथ ही जलापूर्ति की भी व्यवस्था अपने खर्च पर करेंगे।

16. विद्युत हेतु स्टैंडवाई व्यवस्था, साइलेन्ट जेनरेटर आदि की व्यवस्था लाइसेंसधारी के द्वारा स्वयं अपने खर्च पर की जायेगी। अनुप्तिधारी द्वारा ऐसा कोई कार्य नहीं किया जायेगा, जिससे पर्यावरण को क्षति

पहुँचती हो। अनुज्ञप्तिधारी द्वारा जल स्रोतों को प्रदूषित नहीं किया जायेगा एवं जलस्रोतों का उपयोग उतना ही किया जायेगा जितनी की आवश्यकता हो।

17. लाइसेंसधारी के द्वारा किसी प्रकार का संवैधानिक भुगतान नहीं करने के कारण डिफॉल्टर होने पर लाइसेंसकर्ता द्वारा उक्त राशि का भुगतान लाइसेंसधारी द्वारा दिये गया मबनतपजल डवदमल में से कर दिया जायेगा एवं भुगतान की राशि को 30 दिनों के अन्दर लाइसेंसधारी 10% प्रतिशत प्रतिमाह सूद के साथ लाइसेंसकर्ता को वापस Security Money के रूप में जमा कर देंगे, अन्यथा लाइसेंसकर्ता लाइसेंस रद्द कर देगा।
18. लाइसेंस अवधि की समाप्ति के उपरान्त आवंटित सम्पत्ति आदि को उसी अवस्था में सुर्पुद करेंगे, जिस अवस्था में दिया गया था। किसी प्रकार का एडिशन एवं अल्ट्रेशन आदि अध्यक्ष-सह-प्रबन्ध निदेशक/प्रबन्ध निदेशक, बिहार स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड की पूर्वानुमति के बिना नहीं किया जाना है।
19. लाइसेंसधारी के द्वारा लाइसेंस अवधि की समाप्ति के पश्चात् किसी भी अवस्था में आवंटित सम्पत्ति आदि का संचालन नहीं किया जायेगा। निर्धारित अवधि के पश्चात् खाली किये जाने वाले अवधि तक पेनाल्टी के रूप में लाइसेंस फीस के दोगुणा राशि लाइसेंसकर्ता को जमा कराना होगा।
20. लाइसेंसधारी के द्वारा एकरारनामा के शर्तों के उल्लंघन के अवस्था में अथवा उनके द्वारा किसी प्रकार की जालसाजी एवं गलत सूचना के आधार पर प्राप्त किया गया, आदि का संचालन हेतु लाइसेंस अथवा पूर्व में किसी प्रकार के फौजदारी मुकदमें में सजायापता होने की जानकारी मिलने पर, लाइसेंसकर्ता के द्वारा उनका लाइसेंस रद्द कर दिया जायेगा एवं जमा सारी राशि जब्त कर ली जायेगी और उन्हें Blacklist कर दिया जाएगा तथा भविष्य में BSTDC के किसी Tender में भाग नहीं लेने दिया जाएगा।
21. लाइसेंसधारी द्वारा आवंटन के समय बिहार स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लि० से एकरारनामा करना आवश्यक है एवं लाइसेंस के सम्बन्ध में एकरारनामा से संबंधित सभी प्रकार के स्टाम्प ड्यूटी का खर्च लाइसेंसधारी को स्वयं वहन करना होगा।
22. आवंटन पत्र निर्गत होने अथवा आवेदन पत्र स्वीकृत होने के पश्चात् यदि आवेदक Refuse करते हैं या कोई शर्त रखते हैं तो वह मान्य नहीं होगा और उनका लाइसेंस रद्द कर दिया जायेगा एवं अर्नेस्ट मनी की राशि एवं अन्य जमा सारी राशि स्वतः जब्त समझी जायेगी।
23. आवेदक द्वारा संबंधित सम्पदा के संचालन के निमित्त रखे गये कार्मिक निगम के कार्मिक नहीं कहलायेंगे, आवेदक की यह जिम्मेवारी होगी कि अपने अधीन रखे गये कर्मचारियों को श्रम कानून के अन्तर्गत निर्धारित अहर्तायें (E.P.F./E.S.I. एवं अन्य) पूरा करेंगे एवं इसकी पूरी जबाबदेही आवेदक की ही होगी।
श्रम कानून से संबंधित सभी नियमों एवं प्रावधानों का कठोरता से पालन अनुज्ञप्तिधारी करेंगे। श्रम कानून से उठने वाले सभी प्रकार की जबाबदेही अनुज्ञप्तिधारी की होगी।
24. आवंटित परिसर में किसी प्रकार के दुर्घटनाओं की जिम्मेवारी, लाइसेंसधारी की होगी तथा इससे सम्बन्धित किसी भी प्रकार की वैधानिक जबाबदेही लाइसेंसधारी का होगा।
25. लाइसेंसधारी को वन एवं पर्यावरण तथा ध्वनि प्रदूषण से सम्बन्धित सभी नियमों का अनुपालन करना होगा।
26. Municipal Tax एवं भारत सरकार/राज्य सरकार/नगर पंचायत द्वारा लगया होल्डिंग टैक्स या किसी भी प्रकार का कर का भुगतान लाइसेंसधारी द्वारा किया जायेगा। डिफाल्ट की स्थिति में जमानत की राशि जब्त करते हुये लाइसेंस रद्द कर प्रभार प्राप्त कर लिया जायेगा। साथ ही सम्बन्धित बकाया राशि वसुली की कारवाई की जायेगी।

27. अनुज्ञप्ति की अवधि में उपर्युक्त परिसम्पत्ति को निगम हित में या राज्य सरकार हित में दो माह की नोटिस दे कर कार्यभार ग्रहण करने का अधिकार निगम को होगा और ऐसी स्थिति में अनुज्ञप्तिधारी द्वारा जमा की गई राशि का समानुपातिक भाग अनुज्ञप्तिधारी को लौटा दिया जाएगा। किसी प्रकार का Damage Claim मान्य नहीं होगा।
28. द्वितीय पक्ष को 3 (तीन) माह के नोटिश अथवा 3 (तीन) माह की अग्रिम अनुज्ञप्ति राशि का भुगतान कर एवं सभी बकाया राशि का भुगतान कर अनुज्ञप्ति से बाहर आने का अधिकार होगा।
29. उभयपक्षों में किसी भी तरह का विवाद होने पर उसका निष्पादन उभय पक्षों की सहमति से नियुक्त आरविट्रेटर द्वारा किया जाएगा। आरविट्रेशन की प्रक्रिया आरविट्रेशन एण्ड री-कान्सीलियेशन (Re-conciliation) एक्ट 1996 में निहित प्रावधानों की तहत संपादित किए जाएंगे, जो दोनों पक्षों को मान्य होगा। इस आरविट्रेशन की प्रक्रिया पटना में ही संपन्न की जाएगी।

बिहार स्टेट टूरिज्म डेवपलमेंट कॉरपोरेशन लि० की परिसम्पत्ति से सम्बन्धित दुकानों का
अनुज्ञप्ति के आधार पर संचालन हेतु निविदा
लिफाफा नं०- I प्रपत्र 'क' (अनुभव)
सम्पत्ति के आवंटन के लिये लाइसेंस हेतु
आवेदन पत्र का प्रपत्र:

1. इकाई का नाम :
(जिसके लिये आवेदन दिया जा रहा है)
2. आवेदक का नाम :
(अनुभवी व्यक्ति / एजेंसी / फर्म इंडिभिजुअल:
संबंधित कागजात की प्रतिलिपि संलग्न करें)
3. पिता का नाम :
4. वर्तमान एवं स्थाई पता :
(दूरभाष सहित)



5. क्रेडेंशियल्स :
 - i) Partnership or Proprietor ship Firm/ Registered Society/ Individual से सम्बन्धित कागजात
 - ii) आवेदक की आर्थिक सुदृढता का मूल्यांकन हेतु बैंकर द्वारा निर्गत बैंकर्स प्रमाण पत्र (Bank Solvency Certificate)
 - iii) Food License, Certificate की छायाप्रति (सिर्फ खाद्य पदार्थ बेचने वालों के लिए)
 - iv) पैन कार्ड की छायाप्रति
 - v) संबंधित पुलिस अधीक्षक S.P./ DM or SDO से निर्गत चरित्र प्रमाण पत्र
 - vi) आवासीय पता का प्रमाण पत्र (यथा राशन कार्ड / चुनाव आयोग का पहचान पत्र / विद्युत विपत्र / ड्राईविंग लाइसेंस / पासपोर्ट की छायाप्रति)

नोट :- उपरोक्त वर्णित सभी कागजात स्वअभिप्रमाणित संलग्न करना है।

6. "अर्नेस्ट मनी" की विवरणी : बैंक ड्राफ्ट नं० दिनांक रकम

7. आवेदक की अन्डरटैकिंग :

- मेरे द्वारा टेण्डर नियमावली एवं अन्य नियम एवं शर्तें अच्छी तरह पढ़ने / समझने के उपरान्त यह आवेदन दिया जा रहा है। निगम द्वारा निर्धारित सभी नियमों / शर्तों के अनुसार आवंटित इकाई की संचालन व्यवस्था सुनिश्चित करने का आश्वासन देता हूँ।
- मेरे द्वारा इस आवेदन में भरे गये सभी तथ्य / संलग्न अभिलेख अथवा प्रमाण पत्र मेरी जानकारी के अनुसार सत्य एवं सही है। निविदा में किसी भी स्तर पर इन्हें गलत पाये जाने पर निगम यथोचित आवश्यक कार्रवाई करने हेतु स्वतंत्र होगी।

आवेदक का हस्ताक्षर

बिहार स्टेट टूरिज्म डेवपलमेंट कॉरपोरेशन लि० की परिसम्पत्ति से सम्बन्धित दूकानों का
अनुज्ञप्ति के आधार पर संचालन हेतु निविदा
लिफाफा नं०— II प्रपत्र 'ख' (दर)

1. ईकाई का नाम (जिसके लिए आवेदन दे रहे हैं) :-
2. आवेदक का नाम :-
3. पिता का नाम :-
4. वर्तमान पता :-
5. स्थाई पता :-
(दूरभाष संख्या सहित)
6. आवेदक द्वारा ऑफर की गई प्रथम वर्ष हेतु लाइसेंस राशि+G.S.T. राशि:-
अंकों में
(₹ _____) एवं
शब्दों में
(₹ _____)

- नोट :-
1. लाइसेंसीधारी लीज की राशि का उल्लेख अंक और शब्दों में हाथ से न लिखकर, टाईप कराकर दें। जिसमें किसी भी प्रकार का कटिंग या ओभर राईटिंग न हो। कटिंग एवं ओभर राईटिंग होने पर उसे अमान्य कर दिया जायेगा।
 2. लाइसेंसीधारी द्वारा लाइसेंस फीस के समतुल्य राशि जमानत के रूप में N.S.C./ Banker's cheque / Fixed Deposit प्लेज्ड "बिहार स्टेट टूरिज्म डेवपलमेंट कॉरपोरेशन लि०, पटना" के नाम जमा करना होगा।

आवेदक का हस्ताक्षर